FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नं अदालत — SDO डूंगला — मुकाम — डूंगला

गणपति — बनाम — कमलाबाई वगै.

रस्म मुकद्दमा — वादपत्र धारा 88, 188 नं. — 224/19 — सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/10/25	वादीया की और से अधिवक्ता श्री कमलेश योगी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम नीमगांव पटवार मण्डल भरोली बागरियान के खाता संख्या 227 में वर्णित आराजी नम्बर 214/10 रकबा 0.3658 खाता संख्या 293 में वर्णित आराजी नम्बर 386 रकबा 0.1045 है., खाता संख्या 294 में वर्णित आ. नं. 53, 60/1, 213, 232, 237/2, आ.नं. 238/2, 237/1, 238/1, 380, 399, 560/2, 562/1, 563/383, 564/384, 565/398, 566/474 किता 15 कुल रकबा 8.7375 है. भूमि व खाता संख्या 295 मे वर्णित आराजी नम्बर 385 रकबा 4076 है. भूमि वादीया की पैतृक पुश्तैनी की है जो मूल पुरुष भौला के समय से चली आ रही है, भौलाजी का स्वर्गवास होने के पश्चात आराजीयात वादीया व प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 3 तक के पिता नारायण के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हुई। नारायणजी का भी स्वर्गवास हो गया इसके पश्चात उक्त आराजी वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 तक के नाम के साथ-साथ नारायण की पत्नि मांगीबाई का भी राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण खुला उसके पश्चात वादीया व [illegible] पुन: अपने हक हिस्से की भूमि की [illegible] व प्रतिवादी संख्या - 3 [illegible] कर दिया गया जिसके [illegible] मांगीबाई का 1/2 व प्रतिवादी सं. 3 का 1/2 हक [illegible] से पर काबिज हुए प्रतिवादी सं. 1 के मन ने बदनियत →	अ० नि गणपती बाई सवलाल रामलाल [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डूंगला जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

30

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आने की वजह से उसने मांगी बाई का हिस्सा पुनः आवेदन पर करना लिखा गया इससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादी संख्या-3 ने उस विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का एक वाद पत्र पेश किया गया जिसके बाद दिनांक 25.5.2011 को प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा एक आपसी समझौता पत्र निष्पादित किया गया जिसमें अंकित किया गया प्रतिवादी सं. 1 के नाम जो भूमि है उसका नामान्तरण नहीं खुला है उसका नामान्तरण खुलते ही प्रतिवादी सं. 1 अपने हिस्से में आई भूमि में से 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री वादीया के नाम करा देगी। प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में से 1/3 एक हिस्से की भूमि वादीया अपने नाम खातेदारी घोषणा करने हेतु पेश किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र को बाद जांच दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 तक की ओर से श्री प्रह्लाद सिंह शक्तावत एडवोकेट द्वारा उपस्थिति दी गई। दिनांक 14.7.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह झाला एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6,7 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। पत्रावली प्रतिवादी सं. 8 की तामील हेतु नियत की गई। वकील वादी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिवादी संख्या-8 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है औपचारिक पक्षकार है। इसलिए तामील होना आवश्यक नहीं माना है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता भी पैरवी नहीं करना चाहते है इसलिए विरुद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। पत्रावली को साक्ष्य वादीया में नियत की गई। साक्ष्य वादीया में वादीया का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश हुआ जिस पर वादीया का बयान कराया गया। गवाह रतन लाल, रूपलाल रामलाल के शपथ पत्र पेश हुए जिस पर गवाहों के बयान कराये गये। वकील वादीया की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली को बहस में नियत की गई। उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील वादीया की एक पक्षीय बहस को सुना गया तत्पश्चात पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. वाद पत्र अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की भूमि में से 1/3 एक हिस्सा की भूमि का वादीया को खातेदार घोषित करने की घोषणा की जाना न्यायसंगत है। अतः ग्राम नीमगांव पटवार मण्डल गायेली बागरियान के खाता संख्या 227 293 294 295 में वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादी सं. 1 के एक हिस्से की 1/2 जो कि भूमि है उसमें वादीया को 1/3 एक हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया को बेदखल नहीं करे। वादीया को मौके से बेदखल नहीं करे। डिक्री पर्चा अलग से मुरत्तिब होकर संलग्न पत्रावली हो निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 16/10/25 उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ	
6-11.25		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.01.20 17:32:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner